न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2021/244

मिसल नम्बर– 52 / 2021

मोहन बाई पत्नि स्व0 श्री कालूलाल नागर आयु 70 वर्ष जाति धाकड़ निवासी मकान नं0 769 सेक्टर 7 केशवपुरा जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.मोहनलाल नागर पुत्र रामनाथ नागर

2.श्रीमती कमला बाई पत्नि मोहनलाल नागर

3.श्रीमती पार्वती बाई पत्नि स्व0 छेलबिहारी नागर हाल निवासी मकान नं0 769 सेक्टर 7 केशवपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 13/12/24

उपस्थिति:–

1.श्री प्रमोद राठौर प्रार्थी अधिवक्ता।

2.श्री महेश वैष्णव अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया 70 वर्षीय वृद्ध महिला है तथा वरिष्ठ नागरिक है जो मकान नं. 769, सेक्टर 7, केशवपुरा जिला कोटा राजस्थान की निवासी है तथा वर्तमान में अपने पति द्वारा क्रय किये गये स्वामित्व व कब्जेशुदा मकान नं. 769, सेक्टर 7, केशवपुरा जिला कोटा राजस्थान में निवास कर रही है। एवं शांतिप्रिय विधवा महिला है तथा अक्सर बीमार रहती है। तथा बीमारी से ग्रसित है और वृद्धावस्था से गुजर रही है। तथा प्रार्थीया के 3 पुत्रियां कमला बाई, पार्वती बाई व सुगना है तथा तीनो पुत्रियों को विवाह प्रार्थीया द्वारा कर दिया गया है तथा प्रार्थीया की पुत्री सुगना अपने ससुराल में निवास कर रही है। प्रार्थीया के पति के द्वारा स्वअर्जित आय से खरीदशुदा एक मकान जिसमें प्राथ्थीया वर्तमान में निवास करती है, जिसे प्रार्थीया के पति द्वारा अपनी आय से ही निर्मित करवाया गया है। वर्तमान में उक्त मकान तीन मंजिला निर्मित है जिसमें भू–तल, प्रथम तल तथा द्वितीय तल बना हुआ है प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है जिस कारण प्रार्थीया उक्त मकान की एकमात्र स्वामिनी है। तथा मकान में किरायेदार रखकर उनसे प्राप्त किराया राशि से ही प्रार्थीया अपना जीवन यापन कर रही है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया की पुत्रीयां व दामाद है तथा आप्रार्थीगण की मजबूरी देखते हुए तथा रहने हेतु निवास स्थान ना होने के कारण प्रार्थीया द्वारा अपने मकान में अप्रार्थीगण को रहने दिया तथा जिसके बदले अप्रार्थीगण को प्रतिमाह अलग अलग अपना 2500/–रूप

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

APP-A

या राशि व नल बिजली के खर्च की राशि का भुगतान प्रार्थीया को किया जाना था
ससे प्रार्थीया अपना जीवन निर्वाह कर सके। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को कभी भी
किराया राशि का भुगतान नही किया गया ना ही नल बिजली की खर्चा राशि दी गयी जिससे
प्रार्थीया को काफी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीया जब भी किराया
राशि के बाबत् अप्रार्थीगण से तकाजा करती है तो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ लडाई
झगड़ा किया जाता है तथा प्रार्थीया को धमकाते हुये मारपीट करने का प्रयास किया जाता है।
तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ कई दफा मारपीट भी की जा चुकी है इस वृद्धावस्था में
अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया का जीवन नरकमय बना रखा है। तथा प्रार्थीया के भूखे मरने की नौबत
आ गयी है। अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीया के मकान में निवास कर रहे है जबकि प्रार्थीया नही
चाहती कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया के मकान में निवास करे क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा आये दिन
प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट की जाती है तथा प्रार्थीया को किराया राशि व नल
बिजली के खर्चो का भी भुगतान ना कर आर्थिक क्षति पंहुचाई जाती है। इस बाबत् प्रार्थीया ने
एक दफा थाना महावीर नगर कोटा में अप्रार्थी क्रम–1 के विरूद्ध, शिकायत दर्ज करवाई थी
जिस पर अप्रार्थी क्रम–1 को पाबन्द किया जा चुका है। उसके पश्चात् भी अप्रार्थीगण प्रार्थीया
के साथ निरन्तर लड़ाई झगड़ा व मारपीट करते आ रहे है। एवं प्रार्थीया को धमकियां देते है
कि उसे झूठी कार्यवाहियों में फंसा देंगे और उक्त मकान कब्जा कर लेंगे। प्रार्थीया को
अप्रार्थीगण के उक्त कृत्यों से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है प्रार्थीया को इस
वयोवृद्ध अवस्था में भी स्वयं ही खाना बनाना पड़ता है अप्रार्थीगण प्रार्थीया की किसी प्रकार से
सहयोग व सहायता नही करते है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के उक्त मकान में निवासरत अन्य
किरायेदारो को भी परेशान किया जाता है जिससे उनको काफी परेशानियां उठानी पड़ती है।
तथा किरायेदार परेशान होकर मकान खाली करके चले जाते है जिससे प्रार्थीया नल बिजली
का बिल भी नही जमा करा पाती तथा काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा
है। अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे उक्त कृत्यों से प्रार्थीया काफी अवसाद में रहती है तथा
प्रार्थीया के साथ अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे दुर्व्यवहार से प्रार्थीया को काफी मानसिक,
शारीरिक व आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। जिससे प्रार्थीया के जीवन की सुख
शांति भंग हो गई है। प्रार्थीया द्वारा कई दफा अप्रार्थीगण से उक्त मकान खाली कर चले जाने
को कहा गया है परन्तु अप्रार्थीगण उक्त मकान को हड़पने की गरज से खाली नही करना
चाहते है तथा प्रार्थीया को निरन्तर परेशान करता आ रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के स्वामित्व
व क्रयशुदा मकान को हड़पने की गरज से प्रार्थीया को किसी भी प्रकार की क्षति कारित कर
सकते है तथा प्रार्थीया वरिष्ठ नागरिक है व येन केन प्रकारेण अपना जीवन यापन कर रही है।
अतः परिवाद पत्र पेश कर निवेदन है कि परिवाद स्वीकार कर अप्रार्थीगण को आदेशित किया
जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया के स्वामित्व वाले मकान के परिसर को खाली कर प्रार्थीया को
कब्जा संभलावें तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त परिसर खाली ना करने की स्थिति में पुलिस
इमदाद की मदद से उक्त परिसर खाली करवाया जावे तथा अप्रार्थीगण को आदेशित किया
जावे कि वह उक्त मकान में प्रार्थीया की अनुमति के बिना प्रवेश ना करें और प्रार्थीया के
मकान को हड़पने का प्रयास ना करें और अप्रार्थीगण के मकान में निवास करते समय चढ़े
नल बिजली के बिल का व किराया राशि का भूगतान प्रार्थीया को करें। तथा अप्रार्थीगण को
पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थीया से किसी भी प्रकार की गाली गलोज, लड़ाई झगड़ा व
मारपीट नहीं करे तथा प्रार्थीया को शारीरिक व मानसिक व आर्थिक रूप से तंग नही करने के
लिये आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया के पति की मृत्यु के उपरान्त भी प्रार्थिया की अप्रार्थीगण के द्वारा उचित रूप से देखभाल की जा रही है और अपनी समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह एक पुत्र के समान किया जा रहा है और प्रार्थिया को अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार का मानसिक संताप दिया जा रहा है। प्रार्थीया के द्वारा स्वयं ही जानबुझ कर अप्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से अलग अपना खाना बनाया जा रहा है जबकि अप्रार्थीगण के द्वारा लगातार प्रार्थीया से मना किया जाता रहा है। प्रार्थीया के द्वारा ही अप्रार्थीगण को अपने साथ निवास करने के लिये उक्त मकान में बुलाया गया था। क्योंकि प्रार्थीया के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए अप्रार्थीगण को देखभाल करने के लिये व साथ रहने के लिये प्रार्थीया के द्वारा बुलाया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीया के साथ कोई लड़ाई–झगड़ा या मारपीट नहीं की गई और ना ही किसी प्रकार की धमकियाँ दी गई है और ना ही अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त मकान में रह रहे किरायेदारों को परेशान किया जा रहा है और ना ही किरायेदारों से मकान खाली कराने के लिये दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थीया को अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी माँ की तरह ही माना जा रहा है और अपनी सम्पूर्ण जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये तत्पर है। अतः जवाब परिवाद पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत परिवाद को सव्यय खारिज फरमाया जावे और अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी अप्रार्थीगण को दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीया की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अपने जवाब को ही बहस माने जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान मकान नं0 769 सेक्टर 7 केशवपुरा जिला कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थीया से किसी भी प्रकार की गाली गलोज, लड़ाई झगड़ा व मारपीट नहीं करे, प्रार्थीया उपरोक्त मकान में रहने वाले किरायेदारों से किराया प्राप्त करेगी इसमें अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगे। चूंकि अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ निवास कर रहे है इसीलिए अप्रार्थीगण प्रार्थिया को 2,000/– प्रतिमाह किराया का भुगतान करेगे एवं अपने अपने नल बिजली के बिल का वहन करेगें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 13/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
को